श्री सभापति: रेवती रमन सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी ऐसे सीनियर और वरिष्ठ सदस्य कितनी मेहनत करके, तैयारी करके नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद हाउस में मौजूद रह कर जिस तरह के विषय वे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी जो नये सदस्य हैं तथा बाकी सदस्य हैं, उन्हें इन लोगों को देख कर थोड़ा अनुसरण करना सचमुच में उचित होगा।

यह कोई मामूली विषय नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कितने नये लोग या अन्य लोग हाउस में प्रेजेंट हैं और ये लोग कितना प्रेजेंट रहते हैं। एक बार हम लोग इसकी स्टडी करें। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप में नही कह रहा हूँ, मगर यह हमारे सामने उदाहरण है। साथ ही साथ ये कभी-कभी मेरे पास आकर भी कहते हैं कि सर, मेरा एक विषय है। मैं कहता हूँ कि सर, कल तो आपका हो गया, तो कहते हैं कि नही-नही, सर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऐसी माँग करते हैं।

Need to hold free and fair election in Delhi

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय सभापति महोदय, free and fair election हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी और सदन की विभिन्न समितियों में भी बार-बार यह कहा गया है कि चुनाव free होने चाहिए और कम से कम चुनाव का criminilization नही होना चाहिए।

दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है। दिल्ली के चुनाव पर देश ही नही, दुनिया में भी लोगों का बहुत ध्यान आकर्षण हो रहा है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बुला कर दिल्ली चुनाव के लिए advisory भी जारी की थी।

महोदय, यह विषय बहुत संवेदनशील है। इसे किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ विषय नही माना जाए। यह विषय देश के आने वाले भविष्य के लोकतंत्र को भी प्रभावित करेगा। तीन दिन पहले से लगातार पत्रकारवार्ता कर के एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थी। राजनीति में यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग लम्बे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह विरोधाभास दिल्ली में देखने में आया कि सब लोग हतप्रभ थे कि दिल्ली में जहाँ चुनाव एकदम शान्तिपूर्ण होता है, वहाँ अचानक एक स्थल विशेष पर गोलियाँ चलने की घटनाएँ हुईं।

महोदय, मैं आपके सामने विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने कल enquiry करके उन लोगों के राजनीतिक दल ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर ...**(व्यवधान)**... ये क्या बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: आपकी पार्टी का नही है। ...**(व्यवधान)**... आपकी पार्टी का नही है। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: नही, नही। ...**(व्यवधान)**... विप्लव जी, आपको नही बुलाया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: दिल्ली पुलिस ने ...**(व्यवधान)**... आप मेरी पूरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: विप्लव जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... मैंने आपको नहीं बुलाया है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... You are not here to regulate the House. If he says anything objectionable, I will take care of that. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, दिल्ली पुलिस ने ...**(व्यवधान)**... वह कॉंग्रेस पार्टी का नहीं है। आप चिन्ता मत करिए। ...**(व्यवधान)**... अगर आप उनके साथ हैं, तो यह आपके लिए दिक्कत की बात है। ...**(व्यवधान)**... दिल्ली पुलिस ने ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing except what Shri Bhupender Yadav says shall go on record. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: *

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, दिल्ली पुलिस ने जिस व्यक्ति को ...**(व्यवधान)**... जिस व्यक्ति की फोटो दी है, मैं उससे अगली बात कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप मेरी अगली बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: नहीं। ...**(व्यवधान)**... फिर आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... ऐसा मत कीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव: जब फोटो इश्यू की, तब राजनीतिक दल के द्वारा प्रेस कांफ्रेंस करके ...**(व्यवधान)**... पुलिस अधिकारियों को लीगल नोटिस देने की बात की गयी। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**... अगर लिया, तो मैं जरूर रोकूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं यह कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव के समय जब सारी administration की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है और अगर कोई पुलिस अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो हर राजनीतिक दल का काम होता है कि चुनाव आयोग की बात को माने, न कि यह करे कि चुनाव आयोग की बात को न मान कर जो पुलिस अधिकारी इस अपराध को जाहिर कर रहे हैं, उनके खिलाफ लीगल नोटिस देने की बात की जाए। इसलिए दिल्ली की राजनीति का criminilization करने के लिए * जैसी पार्टी की सदस्यता को और पार्टी को निरस्त किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: नहीं, नहीं। पार्टी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**... ठीक है। This is not the way. ...*(Interruptions)*... I am here to take care of that. I have told him also. Nobody needs to even remind me. I have that much understanding of the subject. I

*Not recorded.

[श्री सभापति]
have already said that it will not go on record. But, when people talk about rules, they should themselves also follow the rules before teaching others. काफी विषय हो गए हैं, कुछ अभी होने वाले हैं। थोड़ा शांति रखें। Now, Dr. Narendra Jadhav.

Need to introduce components of new age technology in National Education Policy

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Chairman, Sir, for the last few years, the world is going through the Industrial Revolution 4.0 on the basis of the so-called new-age technology, which includes artificial intelligence and machine learning, data analytics, robotics, blockchain technology, automated technology, additive manufacturing, internet of things, and the augmented reality. This transformative technology is changing the world rapidly and irrevocably. As such, there is an imperative need to make transition towards, what may be called, Education 4.0. There is an urgent need to introduce at least the basics of all these components of the new-age technology and industrial revolution 4.0 right at the high school level. A complete pedagogical overhaul must complement this transformation. Even though the draft New Education Policy, 2019, does mention artificial intelligence and data analytics, the document hardly makes any conscious effort towards the transition to education 4.0 in terms of changes in curriculum and technology-based pedagogy. It is my submission that consideration may be given to this issue and a suitable policy framework be drafted so that the Indian education system can align to the needs of the 21st Century. Thank you.

SHRI RAMKUMAR VERMA: Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI AMAR SHANKAR SABLE (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI KANTA KARDAM (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.